बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-...1318 / आ० नि०क्रो०   दिनांक-04 दिसम्बर'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, बिहार, पटना
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थान, सोसायटी, संगम, न्यास, संगठन एवं संघ इत्यादि)
सभी निजी उद्योग संस्थान (कम्पनी, फर्म एवं कारखाना इत्यादि)
सभी निजी शिक्षण संस्थान (विद्यालय, कॉलेज एवं इन्स्टीच्यू इत्यादि)
सभी व्यावसायिक संस्थान, सरकारी व निजी बैंक, मॉल इत्यादि
अन्य सभी निजी स्थापन

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-21(1) के अनुपालन के तहत राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा निर्गत निजी स्थापन के लिए दिव्यांगजन समान अवसर नीति उपलब्ध कराने एवं सभी निजी स्थापन द्वारा इसके अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन अनुरूप राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-21(1) के अनुपालन के तहत राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा निर्गत निजी स्थापन के लिए दिव्यांगजन समान अवसर नीति तैयार की गई है। इस नीति को अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर'2019 के अवसर पर निर्गत किया गया है। उक्त समान अवसर नीति से सम्बन्धित प्रमुख तथ्य/बिन्दु निम्नानुसार है :-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-21(1) के अनुसार प्रत्येक स्थापन को अधिनियम,2016 के अध्याय-IV के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार नियम,2017 में विहित रीति अनुरूप अधिसूचित करने का अनिवार्य प्रावधान है। उक्त अधिनियम,2016 तथा सम्बन्धित नियम,2017 के प्रावधान के अनुरूप हरेक निजी स्थापन :-

नियम,2017 में उल्लिखित रीति के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का प्रकाशन करेगा।
उपरोक्त समान अवसर नीति की प्रति को दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त, जैसी स्थिति हो, के पास निबंधित करेगा।
समान अवसर नीति का स्थापनों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर उनके परिसरों में सहज दृश्य स्थान पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा।
बीस कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्रत्येक प्राइवेट स्थापन नियम,2017 में वर्णित रीति अनुरूप अपने यहाँ कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का अभिलेख रखेगा।

नीति के अन्तर्गत प्रत्येक निजी स्थापन को अधिनियम,2016 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप अपनी समान अवसर नीति का प्रकाशन करने तथा इसे राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) के पास निबंधित कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। प्रत्येक सरकारी विभाग भी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थापनों को इस अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में मार्गदर्शित करेंगे तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक विनियम निर्धारित करेंगे।

निजी स्थापन के लिए समान अवसर नीति का एक टेमप्लेट तथा एक प्रतिदर्श समान अवसर नीति के अन्तर्गत शामिल किया गया है, जिसे निजी स्थापन अपने समान अवसर नीति के प्रकाशन के लिए संदर्भ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये टेमप्लेट/प्रतिदर्श कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं तथा प्रकाशित समान अवसर नीति को इस कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार द्वारा निबंधित कराया जा सकता है।

उक्त आलोक में राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा निर्गत समान अवसर नीति की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम2016 के राज्य अन्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु इस समान अवसर नीति में जारी निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक निजी स्थापन द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने तथा अपने क्षेत्राधिकार में स्थित प्रत्येक निजी स्थापन को इसके अनुपालन हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
04-12-19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

अनु0-यथोक्त।

कृ0पृ0उ0............

बिहार सरकार

कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

OFFICE OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

आदेश संख्या-06/रा0आ0नि0-01/2019-**1308/आ0नि0को0** दि0-**03** दिसम्बर'19

निजी स्थापन कें लिए दिव्यांगजन समान अवसर नीति

(Equal Opportunity Policy for PwDs for Private Establishment)

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015, दूरभाष : 0612-2215041, मोबाईल : 9431015499,

Helpline No.-8448385590, E-mail-scdisability2008@gmail.com, Website-scdisabilities.org

कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)
OFFICE OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department
बिहार सरकार/Government of Bihar

।। आदेश ।।

आदेश संख्या-06/रा0आ0नि0-01/2019-**1308/आ0नि0को0** दि0-**03** दिसम्बर'19

निजी स्थापन के लिए दिव्यांगजन समान अवसर नीति

भारतीय संसद ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसयम और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 अधिनियमित किया है।

The Parliament has enacted The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016) to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental there to.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से 'अधिनियम,2016') की धारा-21(1) के अनुसार प्रत्येक स्थापन अधिनियम,2016 के अध्याय-IV के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित करेगा।

In terms of the Section 21(1) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (hereinafter referred to as " the Act of 2016") every establishment is mandated to notify Equal Opportunity Policy detailing measures proposed to be taken by it in pursuance of the provisions of Chapter IV of the Act of 2016 in the manner prescribed by the Central Government.

केन्द्रीय सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 (आगे से 'नियम,2017') के नियम-8 के अन्तर्गत समान अवसर के प्रकाशन की रीति प्रावधानित की है।

The Central Government has provided for manner of publication of Equal Opportunity Policy by way of Rule 8 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 (hereinafter referred to as " the Rules 2017 ").

अधिनियम,2016 की धारा-2 (फ) के अनुसार ''प्राइवेट स्थान'' को कोई कंपनी फर्म, सहकारी या अन्य सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था, संगठन, संघ, कारखाना या ऐसा कोई अन्य स्थापन जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के रूप में परिभाषित किया गया है।

In terms of the section 2 (v) of the Act of 2016 "private establishment" means a company, firm, cooperative or other society, associations, trust, agency, institution, organisation, union, factory or such other establishment as the appropriate Government may, by notification, specify.

तदनुसार अधिनियम,2016 तथा सम्बन्धित नियम,2017 के प्रावधान के अनुरूप हरेक निजी स्थापना

Accordingly, as per the provisions of the Act of 2016 and the related Rules of 2017, every private establishment should:

- ❖ नियम,2017 में उल्लिखित रीति के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति का प्रकाशन करेगा।
- Publish an Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities in accordance with the Rules, 2017.
- ❖ उपरोक्त समान अवसर नीति की प्रति को दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त, जैसी स्थिति हो, के पास निबंधित करेगा।
- Register a copy of the above said policy with the Chief Commissioner or the State Commissioner for Persons with Disabilities, as the case may be.
- ❖ समान अवसर नीति का स्थापनों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर उनके परिसरों में सहज दृश्य स्थान पर उसका प्रदर्शन किया जाएगा। स्थापन वेबसाइट के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा यथा अंगिकृत भारत सरकार वेबसाइट-मार्गदर्शक सिद्धांत का अनुपालन करेगा, साथ ही वेबसाइट पर रखेजाने वाले दस्तावेज ePUB या OCR आधारित PDF फार्मेट में होंगे।
- Display the Equal Opportunity Policy preferably on their website or at conspicuous places in the office premises. Establishments shall comply with the website standard as specified in the guidelines for Indian Government websites, as adopted by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India; and the documents to be placed on websites shall be in Electronic Publication (e PUB) or Optical Character Reader (OCR) based pdf format.
- ❖ स्थापन का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि स्थापन में दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम,2016 की धारा-3 की उपधारा-(3) के उपबंधों का, अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के किसी अधिकार और उनको प्राप्त होने वाले किसी फायदे से इंकार करने की लिए दुरूपयोग नहीं किया जाता है।
- The Head of the establishment shall ensure that Persons with Disabilities are not discriminated on the ground of disability. She/he shall ensure that the provision of Section 3 (3) of the Act of 2016 are not misused to deny any right or benefit to persons with disabilities covered under the Act.
- ❖ बीस कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्राइवेट स्थापनों के लिए सरकारी स्थापनों के लिए समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात :-
- The equal opportunity policy of a private establishment having twenty or more employees and the Government establishments shall inter alia, contain the following, namely:-

(क) दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और प्रसुविधाएं ताकि वह स्थापनों में अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सकें।

(a) facility and amenity to be provided to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment;

(ख) स्थापन में दिव्यांगजनों के लिए पहचाने गए समुचित पदों की सूची।

(b) list of posts identified suitable for persons with disabilities in the establishment;

(ग) विभिन्न पदों पर दिव्यांगजनों के चयन की रीति, भर्त्ती-पश्च् और प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण स्थानांतरण और तैनाती में अधिमानत:, विशेष छूट्टी, आवासों के आवंटन में अधिमानत:, यदि कोई हो, तथा अन्य सुविधाएं।

(c) the manner of selection of persons with disabilities for various posts, post-recruitment and pre-promotion training, preference in transfer and posting, special leave, preference in allotment of residential accommodation if any, and other facilities;

(घ) सहायक युक्तियों, बाधा मुक्त पहुंच तथा दिव्यांगजनों के लिए अन्य उपबंध।

(d) provisions for assistive devices, barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities;

(इ) दिव्यांगजनों की भर्त्ती की देखरेख के लिए स्थापन में लायजन अधिकारी की नियुक्ति तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं और प्रसुविधाओं का उपबंध।

(e) appointment of liaison officer by the establishment to look after the recruitment of persons with disabilities and provisions of facilities and amenities for such employees.

❖ स्थापन के कार्यबल में विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन की प्रतिभागिता कम से कम पाँच प्रतिशत करने का लक्ष्य सुनिश्चित करेगा।

- Aim to ensure that at least five percent of workforce comprise of persons with benchmark disabilities.

❖ बीस कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्रत्येक प्राइवेट स्थापन नियम,2017 में वर्णित रीति अनुरूप अपने यहाँ कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का अभिलेख रखेगा तथा मांग किए जाने पर इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगा।

- Every establishment having twenty or more employees shall maintain records of employees with disabilities in a manner containing the particulars as detailed in the Rules 2017.Further, they shall produce for inspection on demand, records maintained under these rules, to the authorities under this Act .

अधिनियम,2016 के प्रावधान अनुसार राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) राज्य के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए आशायित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरी हेतु उत्तरदायी प्राधिकार है। राज्य आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां प्राप्त हैं, जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है। अधिनियम2016 के अध्याय-16 के अन्तर्गत इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान है।

The State Commissioner for Persons with Disabilities, is responsible for monitoring implementation of the provisions of the Act of 2016 and schemes, programmes meant for persons with disabilities, within the state. The State Commissioner shall, for the purpose of discharging their functions under this Act, have the same powers of a civil court as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit. There are suitable punishments for any offences / violations as detailed under the Chapter XVI of the Act of 2016.

अधिनियम,2016 की धारा-21 (2) में प्रावधानित है कि प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उपरोक्त वर्णित समान अवसर नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा।

In terms of the section 21 (2) of the Act of 2016 every establishment shall register a copy of the Equal Opportunity Policy, as detailed above, with the Chief Commissioner or the State Commissioner for Persons with Disabilities, as the case may be.

तदनुसार प्रत्येक निजी स्थापन को निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम,2016 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप अपनी समान अवसर नीति का प्रकाशन करें तथा इसे राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) के पास निबंधित करायें। प्रत्येक सरकारी विभाग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थापनों को इस अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में मार्गदर्शित करें तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक विनियम निर्धारित करें (सरकारी स्थापन के सम्बन्ध में समान अवसर नीति का प्रकाशन सुयोग्य सरकारी विभाग द्वारा किया जा चुका है)।

Accordingly, every Private establishment hereby instructed to adhere to the provisions of the Act of 2016 and shall publish their Equal Opportunity Policy and get it registered with the State Commissioner for Persons with Disabilities, Bihar. The State Government Departments should guide and provide for the necessary regulations to the private establishments existing within their suitable control to adhere to the above stated mandatory provisions.(in respect to the Government establishments the Equal Opportunity Policy has already been published by the suitable Government Department).

इस दस्तावेज में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-21(1) में वर्णित प्रावधान तथा सम्बन्धित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 में वर्णित नियमों के अनुरूप निजी स्थापन के लिए समान अवसर नीति का एक टेमप्लेट तथा एक प्रतिदर्श समान अवसर नीति शामिल है, जिसे निजी स्थापन अपने समान अवसर नीति के प्रकाशन के लिए संदर्भ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये टेमप्लेट/प्रतिदर्श कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं तथा प्रकाशित समान अवसर नीति को इस कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार द्वारा निबंधित कराया जा सकता है।

This document provides a Template and a Sample Equal Opportunity Policy, as per Clause 21 (1) of the Act of 2016 and the related Rules, 2017 which an establishment can adopt or use as a reference in order to create their own policy. These Template/ Sample may be downloaded from the office Website and published equal opportunity policy may be get registered with the office of State Commissioner Disabilities, Bihar.

03/12/19

(डॉ0 शिवाजी कुमार)

(Dr. Shivajee Kumar)

राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार सरकार

State Commissioner Disabilities, Govt. of Bihar

❖ बीस कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले प्रत्येक प्राइवेट स्थापन में दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, के सम्बन्ध में एक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करेगा। यदि ऐसे स्थापन प्रमुख को दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वह-

(क) अधिनियम,2016 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेगा; या

(ख) व्यथित व्यक्तियों को लिखित में सूचित करेगा कि किस प्रकार आक्षेपित कार्रवाई या लोप किसी विधिमान्य ध्येय को पूरा करने के लिए समानुपातिक साधन है।

- Every establishment having twenty or more employees shall have a grievance redressal mechanism in place to look into any complaints received regarding discrimination on the grounds of disability. If the head of the establishment receives a complaint from an aggrieved persons regarding discrimination on the ground of disability, he shall –
  (a) initiate action in accordance with the provisions of the Act; or
  (b) inform the aggrieved person in writing as to how the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim.

❖ स्थापन को दिव्यांग व्यक्ति को उचित आवास के लिए आंशिक या पूर्ण लागत का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।

- Establishments should not compel a person with disability to partly or fully pay the costs incurred for reasonable accommodation.

❖ सभी मौजूदा भवनों को मानक अनुरूप पहुँच योग्य बनाये।

- Make all existing buildings accessible as per standards.

❖ प्रत्येक स्थापन यह सुनिश्चित करेगा कि नये भवन की योजना एवं निर्माण भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में अधिसूचित लोक भवन मानक जैसा कि "हारमोनाइज्ड गाइडलाइन्स एंड स्पेश स्टैंडर्डस फार परसन्स विद डिस्सेविल्टीज एंड एल्डरली पर्सन्ज" में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप किये जाऐं (विदित हो कि मानकों के अनुपालन के अभाव में निर्माणकर्त्ता को कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा)।

- Ensure that new buildings are planned and constructed as per accessibility standards standard for public buildings as specified in the Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons With Disabilities (as the builders will not be given permission to build nor will they be issued a certification of completion if they do not meet the standards).

❖ सुनिश्चित करें कि वर्ष 2019 तक पहुँच पर नियमों के अनुसार सेवाऐं सुलभ है।

- Ensure that services are accessible in accordance with the rules on accessibility in two years i.e. by 2019.

❖ बीस से कम कर्मचारियों वाले प्राइवेट स्थापनों में समान अवसर नीति में, अन्य बातों के साथ, दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और प्रसुविधाएं अंतर्विष्ट होंगी ताकि वह स्थापन में अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

- The equal opportunity policy of the private establishment having less than twenty employees shall contain facilities and amenities to be provided to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment.